जयराम रमेश
JAIRAM RAMESH

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

सत्यमेव जयते

अ.शा.पत्र. सं.जे-16020/47/2011-महात्मा गांधी नरेगा/बीकेएस

दिनांक: 25 अगस्त, 2011

प्रिय नीतीशजी —

ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद से मैंने राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के निष्पादन की समीक्षा की है । बिहार राज्य की समीक्षा करते समय बिहार के कुछ जिलो में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में हुई कुछ गंभीर अनियमितताएं मेरे ध्यान में लाई गई । ये मुंगेर, सीतामढी, दरभंगा, नालंदा और सुपोल से संबंधित हैं । चूंकि इन मामलों में आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जांच और बताई गई अनियमितताओं पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं को नियुक्त किया गया था । राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं की जांच में आरोपों को सही/ आंशिक रूप से सही पाया गया । एनएलएम के निष्कर्ष (सार नीचे दिया गया है) समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई और की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिए गए हैं ।

1) जिला - सीतामढ़ी

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत अनियमितताओं और निधियों के दुर्विनियोजन संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर मामले की जांच के लिए एक एनएलएम नियुक्त किया गया था । दिनांक 09.10.2009 को एनएलएम की जांच राज्य सरकार को अग्रेषित कर दी गई थी ।

2) जिला - मुंगेर

एनएलएम द्वारा निधियों के गबन और अनियमितताओं संबंधी शिकायत की जांच की गई थी तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए एनएलएम की जांच को राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है । सचिव (ग्रामीण विकास) की ओर से दिनांक 25.07.2011 को एक अ.शा.पत्र भी मुख्य सचिव, बिहार को भेजा गया था ।

3) जिला - दरभंगा

i) एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत अनियमितताओं के संबंध में गांव भारती, जिला - दरभंगा के निवासियों से प्राप्त शिकायत की एनएलएम द्वारा जांच की गई थी और दिनांक 9.6.2011 को जांच राज्य सरकार को अग्रेषित कर दी गई थी ।

ii) गांव कोरथू (पश्चिम) घनश्यामपुर में जाली जॉब कार्ड के बारे में शिकायत थी । एनएलएम द्वारा शिकायत की जांच की गई और आरोप सही पाए गए थे । दिनांक 19.01.2011 को राज्य सरकार को की गई कार्रवाई के लिए एनएलएम के निष्कर्ष अग्रेषित कर दिए गए थे ।

........2/-

4) जिला - सुपोल

भ्रष्टाचार और अनियमितताओं संबंधी एक शिकायत की जांच एनएलएम द्वारा की गई और आरोपों को सही पाया गया था । की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 23.05.2011 को एनएलएम के निष्कर्ष राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिए गए थे ।

5) जिला - नालंदा

402200 रू. के गबन संबंधी शिकायत की जांच एनएलएम द्वारा की गई थी और की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए दिनांक 23.05.2011 को एनएलएम की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई थी ।

3. जैसा की आप जानते हैं, महात्मा गांधी नरेगा की धारा 19 के अनुसार योजना के कार्यान्वयन संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए राज्य सरकार को ब्लॉक तथा जिला स्तरों पर प्रभावी शिकायत निपटान तंत्रों को स्थापित करना अपेक्षित है । इस संबंध में, मेरे मंत्रालय ने प्रत्येक जिले में ओमबड्समैन के कार्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं । तथापि, बिहार राज्य में अभी तक यह नहीं किया गया है ।

4. इसलिए मैं आपसे (1) शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों के कार्य में तेजी लाने (2) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने और (3) सभी जिलों में ओमबड्समैन की स्थापना के लिए राज्य तंत्र को उपयुक्त अनुदेश जारी करने का अनुरोध करता हूँ । मेरी राय में, ये कदम योजना को महात्मा गांधी नरेगा के उपबंधों और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित करने में काफी मदद करेंगे ।

सादर,

आपका,

जयराम रमेश

(जयराम रमेश)

श्री नितीश कुमार
मुख्य मंत्री, बिहार,
पटना ।